

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 अगस्त 2023—श्रावण 20, शक 1945

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

I, Mayank Kumar Soni (मयंक कुमार सोनी) S/o Murari Lal Soni has change my name from Mayank Kumar Soni (मयंक कुमार सोनी) to Mayank Soni (मयंक सोनी) for all future purposes.

पुराना नाम

(MAYANK KUMAR SONI)

(मयंक कुमार सोनी)

(G-1516)

नया नाम

(MAYANK SONI)

(मयंक सोनी)

निवासी—Athai Road Ward No. 13,

Mungaoli, Ashok Nagar (M.P.).

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, ब्रजेश कुमार वैष्णव पिता पुरुषोत्तम दास बैरागी, किसानी मुहल्ला बरेला, वार्ड नं. 01, जिला जबलपुर (म.प्र.) मैंने उपजाति सरनेम तिवारी कर लिया है. मुझे आज दिनांक से ब्रजेश कुमार वैष्णव के स्थान पर ब्रजेश तिवारी के नाम से जाना-पहचाना जावे. मेरे एवं मेरी संतान के समस्त शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में जहां पर भी वैष्णव दर्ज है, उसे परिवर्तित कर उपनाम (सरनेम) को वैष्णव के स्थान पर तिवारी पढ़ा-लिखा व समझा जावे.

पुराना नाम

(ब्रजेश कुमार वैष्णव)

(G-1517)

नया नाम

(ब्रजेश तिवारी)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री के नाम से बने जन्म प्रमाण-पत्र में पुत्री का नाम HITANSHI KOTHARI अंकित है, जो कि मेरी पुत्री का पुराना नाम है. मेरे द्वारा पुत्री के नाम से बने जन्म प्रमाण-पत्र में संशोधन कराकर पुत्री का नाम HITANSHI KOTHARI के स्थान पर KUHU KOTHARI करा लिया गया है. भविष्य में पुत्री को KUHU KOTHARI के नाम से ही जाना-पहचाना जावे.

भवदीय,

दीपाली कोठारी,

पत्नी-श्री गौरव कोठारी,

निवासी-फ्लेट नंबर सी-602,

भाऊ साहेब पोतनीस इन्क्लेव, फेस-1,,

ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1518)

नाम परिवर्तन

सर्वसंबंधित को सूचित किया है कि मेरा पुराना नाम राम प्यारी पिपरोलिया H/O संतोष पिपरोलिया अब मेरा नया नाम नेहा पिपरोलिया H/O संतोष पिपरोलिया के नाम से जाना-पहचाना एवं पढ़ा जाये.

पुराना नाम

(राम प्यारी पिपरोलिया)

नया नाम

(नेहा पिपरोलिया)

(G-1519)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रियांशी सिंह (Priyanshi Singh) पुत्री श्री गोपाल जी सिंह, निवासी-मकान नंबर 27, फेस टू, राधा कृष्णपुरम, खेजड़ा बरामद, भानपुर, भोपाल मध्यप्रदेश का निवासी हूँ. मेरी शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम प्रियांशी सिंह दर्ज है किन्तु मेरे आधार कार्ड पर निक्की सिंह दर्ज है. उपरोक्त दोनों नाम प्रियांशी सिंह एवं निक्की सिंह मेरे स्वयं के नाम हैं अर्थात् एक ही महिला के हैं. प्रियांशी सिंह मेरे आधार कार्ड पर दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(निक्की सिंह)

नया नाम

(प्रियांशी सिंह)

पिता-गोपालजी सिंह.

(G-1520)

नाम परिवर्तन

मैं, महेश कुमार बठीजा, निवासी-म.नं. 461/बी, मदन महल गुरुद्वारा के पास, पोस्ट ऑफिस प्रेम नगर, जबलपुर, मेरा नाम महेश बठीजा शेयर प्रमाण-पत्र में लिखा है एवं मेरा सही नाम महेश कुमार बठीजा है. मैं, अपना नाम महेश बठीजा के स्थान पर महेश कुमार बठीजा कर लिया है. मैं, महेश बठीजा के स्थान पर महेश कुमार बठीजा के नाम से ही जाना-पहचाना जाऊंगा.

पुराना नाम

(महेश बठीजा)

नया नाम

(महेश कुमार बठीजा)

(G-1521)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, जयश्री श्रीवास पत्नी अमित कुमार श्रीवास, वार्ड नं. 06, ठाकुर मोहल्ला, सिवनी मालवा, तह. सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.). मेरी पुत्री के शैक्षणिक अभिलेखों में मेरा नाम अपर्णा श्रीवास लिखा हुआ है. अपर्णा श्रीवास मेरा घरू नाम है तथा वास्तविक नाम जयश्री श्रीवास है. मैं, मेरी पुत्री के शैक्षणिक अभिलेखों में माता का नाम अपर्णा श्रीवास के स्थान पर जयश्री श्रीवास दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(अपर्णा श्रीवास)

नया नाम
(जयश्री श्रीवास)

(G-1522)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पुराना नाम—महेश चन्द्र (MAHESH CHANDRA) पुत्र श्री मट्टू सिंह तोमर, निवासी—ई—246, मिनाल रेसीडेंसी, जे.के. रोड, भोपाल था, अब मेरा नया नाम महेश चन्द्र तोमर (MAHESH CHANDRA TOMAR) पुत्र श्री मट्टू सिंह तोमर के नाम से जाना एवं पहचाना जाएगा.

पुराना नाम
(महेश चन्द्र)
(MAHESH CHANDRA)

नया नाम
(महेश चन्द्र तोमर)
(MAHESH CHANDRA TOMAR).

(G-1523)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पेन कार्ड पर त्रुटिवश मेरा नाम संजय सेंगर पिता मनोहर सेंगर दर्ज है. मेरा सही नाम अजय सिंह सेंगर पिता श्री जय प्रताप सिंह सेंगर है एवं भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावेगा.

पुराना नाम
(मनोहर सेंगर)

नया नाम
(अजय सिंह सेंगर)
पिता—जय प्रताप सिंह सेंगर.
पता—पी—41, सेक्टर सी, सुखलिया,
इन्दौर (म.प्र.).

(G-1524)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शादी से पहले मेरा नाम पूजा गर्ग पुत्री सियाराम गर्ग था, जो कि मेरे शासकीय, अशासकीय दस्तावेज आदि में दर्ज है. शादी के बाद मेरा नाम पूजा गर्ग के स्थान पर वैष्णवी बंसल पत्नी मयंक बंसल हो गया है. उक्त दोनों नाम मुझे एक ही महिला के हैं. अतः भविष्य में मुझे पूजा गर्ग के स्थान पर वैष्णवी बंसल के नाम से ही जाना—पहचाना, पढ़ा—लिखा जावे.

पुराना नाम
(पूजा गर्ग)
पुत्री—सियाराम गर्ग

नया नाम
(वैष्णवी बंसल)
पत्नी—मयंक बंसल,
निवासी—बागले का बाड़ा, दाल बाजार,
लशकर, ग्वालियर.

(G-1525)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, भास्कर ठाकरे आत्मज श्री सिरपत राव ठाकरे, पता-35, कुलबहार, वार्ड नंबर-35, इमलीखेड़ा चौक, इमलीखेड़ा, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) मेरी हाईस्कूल सर्टिफिकेट में मेरा नाम भास्कर टकरे (Bhaskar Takre) अंकित है, जो कि गलत है. मेरा सही एवं वास्तविक नाम भास्कर ठाकरे (Bhaskar Thakre) है. अतः भविष्य में मुझे मेरे नये नाम भास्कर ठाकरे (Bhaskar Thakre) से ही जाना व पहचाना जावेगा.

पुराना नाम
(भास्कर टकरे)
(Bhaskar Takre)

नया नाम
(भास्कर ठाकरे)
(Bhaskar Thakre).

(G-1526)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र मेहुल मोहिते जो कि जन्म के समय से चला आ रहा है. उक्त नाम को परिवर्तित कर मितांश मोहिते पुत्र श्री राहुल मोहिते, माता श्रीमती खुशबू मोहिते ही जाना जाये. प्रकाशन दिनांक से मेरे पुत्र का नाम मेहुल मोहिते के स्थान पर मितांश मोहिते (MITANSH MOHITE) पुत्र श्री राहुल मोहिते के सभी दस्तावेजों में पोलिसी आदि में यही नाम से जाना-पहचाना व पढ़ा जाये.

पुराना नाम
(मेहुल मोहिते)

नया नाम
(मितांश मोहिते)
पुत्र-श्री राहुल मोहिते,

(G-1527)

नि.-सी 24, सांवरिया नगर, छोटा बांगडदा, इन्दौर.

नाम परिवर्तन

मैं, रोहित मालवीय आत्मज श्री कमल सिंह सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्र/दस्तावेजों में रोहित मालवीय अंकित है. मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश रोहित पाण्डेय अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम रोहित मालवीय है. अतः मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम रोहित पाण्डेय के स्थान पर रोहित मालवीय दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(रोहित पाण्डेय)

नया नाम
(रोहित मालवीय)
निवासी-चर्च मैदान के पास, श्री कृष्ण विहार कॉलोनी,
जिला सीहोर (म.प्र.).

(G-1528)

नाम परिवर्तन

मैं, गुड्डी देवी (GUDDI DEVI) पत्नी श्री सोबरन सिंह, सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे घर का बोलता नाम श्रीमती शारदा बौध (SMT. SHARDA BODDH) था, जो मेरी बीमा पॉलिसी में लिख गया है. अतः वर्तमान एवं भविष्य में गुड्डी देवी के नाम से जानी-पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ, जो मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, समग्र आईडी इत्यादि में लिखा गया है. अतः मेरी बीमा पॉलिसी में मेरा नाम श्रीमती शारदा बौध के स्थान पर गुड्डी देवी लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(शारदा बौध)

नया नाम
(गुड्डी देवी)
पत्नी-श्री सोबरन सिंह,
एकता विहार कॉलोनी, गुडा, लश्कर, ग्वालियर.

(G-1529)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स शिवा कन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स जो 1, प्रतीक्षा भवन, रेसीडेन्सी रोड, गोले का मंदिर, मुरार, ग्वालियर में स्थित है, जिसका पंजीयन क्रमांक 02-42-01-00116-13, दिनांक 28-10-2013 है, जिसमें दिनांक 11-07-2023 को भागीदार 1. श्री सुरेश सर्राफ पुत्र स्व. श्री मोहनलाल सर्राफ, निवासी-प्रतीक्षा भवन, रेसीडेन्सी रोड, गोले का मंदिर, मुरार, ग्वालियर, 2. श्री रोहित वाधवा पुत्र श्री पूरन चन्द्र वाधवा, निवासी-कृष्णा कुटिर, गांधी रोड, ग्वालियर, 3. महेश भारद्वाज पुत्र श्री एम.एन. भारद्वाज, निवासी-ललितपुर कॉलोनी, ग्वालियर फर्म से अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 11-07-2023 को 1. श्रीमती कमला शिवहरे पत्नी श्री लक्ष्मीनारायण शिवहरे, निवासी-बी/17, अशोक विहार, तानसेन रोड, ग्वालियर, 2. श्री श्रेयांश जैन पुत्र श्री सुजीत जैन, निवासी-803, आर्किड टावर, ग्वालियर नवीन भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित हो गये हैं।

श्री सुरेश सर्राफ, निवासी-प्रतीक्षा भवन, रेसीडेन्सी रोड, गोले का मंदिर, मुरार, ग्वालियर

(सुरेश सर्राफ)

(भागीदार)

1, प्रतीक्षा भवन, रेसीडेन्सी रोड, गोले का मंदिर,
मुरार, ग्वालियर.

(G-1530)

आम सूचना

सर्वजन को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स सेठ एण्ड संस स्थित ए.बी. रोड, गुना (म.प्र.) है, जिसका पंजीयन क्रमांक 25, दिनांक 25-09-2002 है, जिसमें दिनांक 24-01-2023 को भागीदार श्रीमती राममूर्ति देवी गुप्ता पत्नी स्व. श्री पुरुषोत्तम दास गुप्ता, निवासी-विवेक टॉकीज गली, अशोकनगर (म.प्र.) की मृत्यु हो जाने के कारण फर्म से पृथक् हो गयी है एवं इसी दिनांक 24-01-2023 से श्रीमती रेशु सेठ पत्नी श्री सिद्धांत सेठ, निवासी-1,64, परसराम भवन, ए.बी. रोड, गुना (म.प्र.) फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गई हैं।

मेसर्स सेठ एण्ड संस,

(विनीत सेठ)

(भागीदार)

गुना (म.प्र.)

(G-1531)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती जया जैन पति दीपचंद जैन SMT. JAYA JAIN W/o DEEPCHAND JAIN सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह पूर्व का नाम कु. जया कोठारी था, जो मेरे शेर सर्टिफिकेट KO JAYA KOTHARI में लिखा गया है, जो कि गलत है. विवाह पश्चात् मेरा नाम श्रीमती जया जैन पति श्री दीपचंद जैन हो गया है तथा वर्तमान एवं भविष्य में मैं, श्रीमती जया जैन के नाम से ही जाना-पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी. अतः मेरे शेर सर्टिफिकेट में मेरा नाम KO JAYA KOTHARI के स्थान पर श्रीमती जया जैन SMT JAYA JAIN लिखा एवं पढ़ा जाये.

पुराना नाम

(KO JAYA KOTHARE)

नया नाम

(JAYA JAIN)

W/o DEEPCHAND JAIN,

Add.- 95K1, Skeem No. 71,

Sector-A, Indore (M.P.).

(G-1532)

नाम परिवर्तन

मैं, गरिमा तिवारी (Garima Tiwari) W/o गौरव तिवारी, सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा शादी से पूर्व मेरा नाम गरिमा पाण्डेय था, जो मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्रों में लिखा है। मेरी शादी के उपरांत मुझे गरिमा तिवारी (Garima Tiwari) W/o गौरव तिवारी के नाम से ही जाना-पहचाना और पुकारा जाता है। प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्रों में मुझे गरिमा तिवारी (Garima Tiwari) के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाए।

पुराना नाम
(गरिमा पाण्डेय)
(Garima Pandey)

नया नाम
(गरिमा तिवारी)
(Garima Tiwari)
W/o गौरव तिवारी,
Address:- 12 / 1042, सर्वोदय स्कूल के पास,
बजरंग नगर, हुजूर, रीवा.

(G-1533)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/s A&D FINANCIAL SERVICES AND PORTFOLIO MANAGEMENT पता- JANTA-14, HARSHWARDHAN NAGAR, BHOPAL-462003 प.क्र. 01-01-01-00397-14, दिनांक 10-12-2014 है। फर्म ने दिनांक 01-04-2023 को अपना नाम एवं पता परिवर्तन कर लिया है। अब फर्म का नाम एवं पता इस प्रकार होगा। M/s SECOND LEVEL THINKING BROKERS पता- FIRST FLOOR, PRAGATI APARTMENT, 64, CIVIL LINES, ABOVE BANK OF INDIA, BHOPAL-462002 दिनांक 01-04-2023 को SHRI ARPIT NAGAR S/o SHRI KRISHNA JI NAGAR, HOUSE No.08, AVANTIKA CAMPUS LALGHATI, BHOPAL (M.P.)-462001 भागीदारी फर्म से पृथक् हुए। दिनांक 01-04-2023 को 1. SMT. SONAM VYAS W/o SHRI DIWAKAR SHARMA, JANTA-14, HARSHWARDHAN NAGAR, BHOPAL-462003 (M.P.) भागीदारी फर्म में शामिल हुईं।

M/s SECOND LEVEL THINKING BROKERS,
(DIWAKAR SHARMA)
PARTNER,
FIRST FLOOR, PRAGATI APARTMENT, 64,
CIVIL LINES, ABOVE BANK OF INDIA, BHOPAL.

(G-1534)

नाम परिवर्तन

मैं, आलोक सिंह सेंगर पिता रणजीत सिंह सेंगर, निवासी-3, प्रकाश नगर, बिजली कॉलोनी, गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.) मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण-पत्र में महिमा सिंह सेंगर नाम अंकित है। मैं, अब अपनी पुत्री का नाम परिवर्तित करके दनिका दिमीरा (Daneca Dimira) रख दिया है तथा भविष्य में मेरी पुत्री को दनिका दिमीरा (Daneca Dimira) के नाम जाना व पहचाना जाए।

पुराना नाम
(महिमा सिंह सेंगर)

नया नाम
(दनिका दिमीरा)
पुत्री-आलोक सिंह सेंगर.

(G-1535)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मैं, धर्मेन्द्र रघुवंशी पिता श्री रामशरण सिंह रघुवंशी, माता श्रीमति कुसुम बाई रघुवंशी, पता—महगंवा कलां, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरे द्वारा नाम में परिवर्तन कर अब अपना नया नाम आदित्य रामशरण कर रहा हूँ. अब भविष्य में मेरे समस्त शासकीय दस्तावेजों में भी सुधार कर मुझे इसी नाम से पढ़ा, सुना, लिखा और पहचाना जावे.

पुराना नाम
(धर्मेन्द्र रघुवंशी)
(G-1536)

नया नाम
(आदित्य रामशरण)

उपनाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती ललिता देवी अग्रवाल पत्नी श्री ओमप्रकाश अग्रवाल, पता—मकान नम्बर 29, 30—ए, जानकी नगर, चूना भट्टी, भोपाल (म.प्र.). मेरा पूर्व का नाम श्रीमती ललिता देवी गोयल था, जिस नाम से मैं, पूर्व में जानी जाती थी, यह कि मेरा अब वर्तमान में नाम श्रीमती ललिता देवी अग्रवाल है, जो कि मेरे आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में भी दर्ज है तथा मैं, अब श्रीमती ललिता देवी अग्रवाल के नाम से ही जानी व पहचानी जाती हूँ.

पुराना नाम
(ललिता देवी गोयल)
(G-1537)

नया नाम
(ललिता देवी अग्रवाल)
पत्नी—श्री ओमप्रकाश अग्रवाल.

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मैं, भारतीय नेवी से सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ. नेवी के सर्विस रिकॉर्ड में मेरा नाम उपनाम केवल हरीश चन्द्र लिखा हुआ है, जबकि मेरा पूरा नाम उपनाम हरीशचन्द्र सिंह शक्तावत है. अतः मेरे सर्विस रिकॉर्ड सहित मेरे समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में जहां भी मेरा नाम हरीशचन्द्र लिखा हुआ है उसे हरीशचन्द्र सिंह शक्तावत ही लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(हरीश चन्द्र)
(G-1538)

नया नाम
(हरीशचन्द्र सिंह शक्तावत)
237, एम.आई.जी., विजयनगर, वाटर टैंक,
देवास (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, हमारा घर का नाम रमन चौधरी था, किन्तु हमने सन्यास धारण कर लिया था. अतः सन्यास के बाद आश्रम में हमारा नया नामकरण होकर नया नाम अतुल योग आनन्द हो गया है, जो कि हमारे सन्यास के बाद के समस्त दस्तावेजों पर भी लिखा हुआ है. अतः हमारे घर के जिस भी दस्तावेज में हमारा नाम रमन चौधरी लिखा हुआ हो, उन सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में हमें हमारे नये नाम अतुल योग आनन्द से ही लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(रमन चौधरी)
(G-1539)

नया नाम
(अतुल योग आनन्द)
158, आदर्श नगर, आनन्दपुर,
अशोक नगर (म.प्र.).

CHANGE OF SURNAME

I, Pinkey Bansal hereby declare that, my maiden name was Pinkey Agrawal. But now after my marriage, we have changed my surname as Pinkey Agrawal to Pinkey Bansal W/o Krishna Bansal. So from now and in future I will be known as Pinkey Bansal for all purpose.

Old Name
(PINKEY AGRAWAL)

New Name
(PINKEY BANSAL)
W/o Krishna Bansal,
109, Prakash Nagar, Navlakha,
Indore (M.P.).

(G-1540)

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that in the Partnership Firm M/s Adinath Stone Crusher Registered Office at 204, Priyadarshani Tower, Varaha Mirhi Marg, Ujjain (M.P.) and Registration No. is 07-33-01-0059-23, dated 17-07-2023, which was constituted *vide* Partnership deed executed on 19-01-2021.

In this Partnership firm subsequently following changes have occurred on 23-03-2023, Shri Yash Khandelwal S/o Shri Lalit Khandelwal has joined the firm as a new partner.

Now 1. Shri Sanskar Bapna, 2. Shri Abhinav Parakh and 3. Shri Yash Khandelwal are the running Partners in the Partnership firm.

M/s Adinath Stone Crusher,
(SANSKAR BAPNA)
Partner.

(G-1541)

CHANGE OF NAME

I, hereby declare that, I have changed my name from "Ruma Ganguli" to "Ratna Ganguli". Henceforth I shall be known as "Ratna Ganguli" for all purpose.

Old Name
(RUMA GANGULI)

New Name
(RATNA GANGULY)
Flat No. 208, Block B, Rajul Park,
Tilahari Bilhari, Jabalpur (M.P.).

(G-1542)

CHANGE OF SURNAME

I, Bhumija Mourya hereby declare that, my maiden name was Bhumija Chouhan. But after my marriage, I have changed my maiden name and surname as Bhumija Chouhan to Bhumija Mourya. So from now and in future I will be known as Bhumija Mourya for all purpose.

Old Name
(BHUMIJA CHOUHAN)

New Name
(BHUMIJA MOURYA)
303, Sukhmani Residency,
Khandwa Road, New Rani Bagh,
Indore (M.P.).

(G-1543)

CHANGE OF NAME

I, hereby declare that, I have changed my name from “Suresh Kumar Agrawal” to “Suresh Kumar Khandeliya”. Henceforth I shall be known as “Suresh Kumar Khandeliya” for all purposes.

Old Name	New Name
(SURESH KUMAR AGRAWAL)	(SURESH KUMAR KHANDELIYA)
(G-1544)	Ward No. 09, Ganj Raod, Sabji Mandi Ke Samne, Shadole, Sohagpur (M.P.).

CHANGE OF NAME

I, hereby declare that, my correct name is Vishal Kumar Jain. But in my Son Goyam Jain's school's documents and some of other documents my name is written Vishal Jain, in which my middle name is missing. Henceforth in all of my Son's documents my name will be written Vishal Kumar Jain for all purposes.

Old Name	New Name
(VISHAL JAIN)	(VISHAL KUMAR JAIN)
(G-1545)	317, M.G. Road, Alirajpur (M.P.).

CHANGE OF SURNAME

I, hereby declare that, my full and correct name is Basant Khapariya. But in my some documents my name is written only Basant and in some of other documents my name is written Basant Khapriya, both are incomplete name. So Henceforth in all of my documents my correct and full name will be written Basant Khapariya, in place of Basant and Basant Khapriya.

Old Name	New Name
(BASANT)	(BASANT KHAPARIYA)
(G-1546)	M. No. 438, Ward No. 24, Shastri Nagar, Pathakheda, Betul (M.P.).

उप नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरा नाम प्रभा शक्तावत है, जबकि मेरे पति के नेवी के सर्विस रिकॉर्ड में मेरा नाम प्रभा कुँवर या फिर प्रभा कुमारी लिखा हुआ है, जो कि मेरे ही नाम हैं. अतः मेरे पति हरीशचन्द्र सिंह शक्तावत जी के सर्विस रिकॉर्ड सहित मेरे समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मुझे मेरे सही व पूरे नाम प्रभा शक्तावत से ही लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(प्रभा कुँवर/प्रभा कुमारी)	(प्रभा शक्तावत)
(G-1547)	237, एम.आई.जी., विजयनगर, वाटर टैंक, देवास (म.प्र.).

उपनाम परिवर्तन

मैं, मनोज कुमार निरंजन पुत्र श्री कुंजीलाल, व्यवसाय-नौकरी, निवासी-सी-71, न्यू साकेत नगर, नगर निगम ऑफिस के सामने, तानसेन रोड, ग्वालियर (म.प्र.) हूँ। शासकीय, अशासकीय अभिलेख, शैक्षणिक दस्तावेज में मेरा नाम MANOJ KUMAR VERMA S/o KUNJ LAL VERMA अंकित है, जबकि मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम MANOJ KUMAR NIRANJAN S/o KUNJI LAL अंकित है। दोनों ही नाम मुझ एक ही व्यक्ति के हैं। अब मेरा सही नाम MANOJ KUMAR NIRANJAN S/o KUNJI LAL से ही जाना-पहचाना जावेगा।

पुराना नाम

(MANOJ KUMAR VERMA)

S/o KUNJI LAL VERMA

(मनोज कुमार वर्मा)

पुत्र-श्री कुंजी लाल वर्मा

(G-1548)

नया नाम

(MANOJ KUMAR NIRANJAN)

S/o KUNJI LAL

(मनोज कुमार निरंजन)

पुत्र-श्री कुंजी लाल

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, पूर्व में मेरा नाम KRISHAN PRAJAPATI (कृष्ण प्रजापति), जिसे मैं, अब बदलकर KRISHAN LIMBA (कृष्ण लिम्बा) कर रहा हूँ। अतः मेरे, मेरे पुत्र व मेरी पत्नी के सभी दस्तावेजों में मेरा नाम KRISHAN LIMBA (कृष्ण लिम्बा) ही लिखा जाये।

पुराना नाम

(कृष्ण प्रजापति)**(Krishan Prajapati)**

(G-1549)

नया नाम

(कृष्ण लिम्बा)**(Krishan Limba)**

64, वृंदावन कॉलोनी, लाल कुआं के पास,

इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरा वास्तविक व सही नाम घनश्याम मित्तल (GHANSHYAM MITTAL) पिता मदनलाल मित्तल है, जो मेरे आधार कार्ड एवं पेन कार्ड पर दर्ज है, किन्तु मेरे द्वारा कुछ निवेश त्रुटिवश मेरा नाम अशोक अग्रवाल (ASHOK AGRAWAL) हो गया है। अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम घनश्याम मित्तल (GHANSHYAM MITTAL) पिता मदनलाल मित्तल के नाम से जाना-पहचाना व सम्बोधित किया जावे।

पुराना नाम

(अशोक अग्रवाल)**(ASHOK AGRAWAL)**

(G-1550)

नया नाम

(घनश्याम मित्तल)**(GHANSHYAM MITTAL)**पिता-मदनलाल मित्तल,
पता-29/1, नार्थ राजमोहल्ला,

इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, नमन अग्रवाल पुत्र श्री संजय अग्रवाल, निवासी-गणेशगंज मार्ग, विदिशा (म.प्र.). मेरे समस्त शासकीय, अशासकीय दस्तावेज में मेरा नाम नमन अग्रवाल पुत्र श्री संजय कुमार अग्रवाल दर्ज हो गया है, जबकि मेरे आधार कार्ड, EWS प्रमाण-पत्र इत्यादि दस्तावेजों में मेरा नाम नमन अग्रवाल पुत्र श्री संजय अग्रवाल ही दर्ज है. नमन अग्रवाल पुत्र श्री संजय अग्रवाल एवं नमन अग्रवाल पुत्र श्री संजय कुमार अग्रवाल दोनों ही नाम मेरे ही हैं. भविष्य में मुझे नमन अग्रवाल पुत्र श्री संजय अग्रवाल के नाम से ही जाना जावे.

पुराना नाम
(नमन अग्रवाल)
पुत्र-संजय कुमार अग्रवाल
(G-1551)

नया नाम
(नमन अग्रवाल)
पुत्र-संजय अग्रवाल

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरा पूर्व नाम प्रभा जैन (PRABHA JAIN) था, जो कि मेरे शेयर प्रमाण-पत्र पर लिखा गया है, जबकि मेरा वास्तविक व सही नाम प्रभा धारीवाल (PRABHA DHARIWAL) पति श्री प्रकाश चंद धारीवाल है, जो कि मेरे पेन कार्ड एवं आधार कार्ड पर भी अंकित है. अतः भविष्य में मुझे प्रभा धारीवाल पति श्री प्रकाश चंद धारीवाल के नाम से जाना-पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम
(प्रभा जैन)
(PRABHA JAIN)
(G-1552)

नया नाम
(प्रभा धारीवाल)
(PRABHA DHARIWAL)
पति-श्री प्रकाश चंद धारीवाल
57, दशहरा मैदान, उज्जैन (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरा नाम ऋचा सरावगी पुत्री श्री अरुण कुमार सरावगी था, जो विवाह उपरान्त अब ऋचा कनकने पत्नी श्री विवेक कनकने परिवर्तित हो गया है.

अब मुझे ऋचा कनकने के नाम से जाना-पहचाना जावेगा.

पुराना नाम
(ऋचा सरावगी)
पुत्री श्री अरुण कुमार सरावगी
(G-1553)

नया नाम
(ऋचा कनकने)
पत्नी श्री विवेक कनकने
20 अग्रसेन एपार्टमेंट, अग्रवाल नगर,
नई भूमि, इन्दौर (म.प्र.).

PUBLIC NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the constitution of the partnership firm hereto before subsisting between the undersigned and Shri Yogesh Waswani, vide deed of partnership dated 15th November 2010 for carrying on business of buying land and developing such land for commercial use, running of marriage lawn, constructing commercial complex and shop etc, in the firm name and style as M/s R. R. INFRASTRUCTURES at Bhopal has been changed. The detail of change is as under :-

Dated 31-03-2013 1. Shri Rajesh Asnani has retired from the partnership firm and Dated 18-3-2023.

1. Shri Mohammad Maaz Sagheer has joined as new partner.
2. Shri Mohammad Sagheer has retired from the partnership firm.

M/s R. R. INFRASTRUCTURES
(YOGESH WASWANI)
PARTNER,
Shop No. 2-B, Rajat Vihar Shopping Complex,
Rajat Vihar Colony, Ahamadpur Kalan,
Hosangabad Road, Bhopal.

(G-1554)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम परिवर्तन रविबाई कुशवाहा कर लिया है. अतः मेरे पुराने नाम पूजा बाई काछी पति विष्णुप्रसाद कुशवाहा के स्थान पर परिवर्तित नाम रविबाई कुशवाहा पति विष्णुप्रसाद कुशवाहा कर लिया है. मेरा परिवर्तित नाम समस्त शासकीय/अशासकीय अभिलेखों में दर्ज किया जावे व भविष्य में मुझे शासकीय/अशासकीय कार्यालयों में मेरे परिवर्तित नाम रविबाई कुशवाहा पति विष्णुप्रसाद कुशवाहा के नाम से जाना-पहचाना व लिखा जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(पूजा बाई काछी)
पति विष्णुप्रसाद कुशवाहा

(रविबाई कुशवाहा पति विष्णु प्रसाद कुशवाहा)
(Ravi Bai Kushwaha W/o Vishnu Prasad Kushwaha)

पता-आजाद वार्ड क्र. 2, लखनादौन,

थाना व तहसील लखनादौन, जिला सिवनी.

(G-1555)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासकीय या अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम अरूणा नागदिवे एवं कुछ में सिंधु नागदिवे दर्ज है. दोनों नाम मेरे यानि एक ही व्यक्ति के हैं एवं अब भविष्य में मुझे सिंधु नागदिवे नाम से जाना जाए एवं इसी नाम से पत्राचार किया जाए.

पुराना नाम

नया नाम

(अरूणा नागदिवे)

(सिंधु नागदिवे)

पति स्व. दौलतराव नागदिवे,

221-ए, वीणा नगर, इन्दौर.

(G-1556)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम खेमेन्द्र प्रताप सिंह (KHEMENDRA PRATAP SINGH) पिता सुरेन्द्र सिंह सिसोदिया था, जो कि मेरे दस्तावेज प्रमाण-पत्रों पर अंकित हो गया है. जिसको मैंने परिवर्तित कर खेमेन्द्र सिसोदिया (KHEMENDRA SISODIYA) कर लिया है. अतः भविष्य में मुझे खेमेन्द्र सिसोदिया (KHEMENDRA SISODIYA) के नाम से ही जाना-पहचाना व संबोधित किया जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(खेमेन्द्र प्रताप सिंह)
(KHEMENDRA PRATAP SINGH)

(खेमेन्द्र सिसोदिया)
(KHEMENDRA SISODIYA)

पिता-सुरेन्द्र सिंह सिसोदिया,

पता-2/12, सदर बाजार, पुलिस लाईन, इंदौर (म. प्र.).

(G-1557)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास, गाडरवारा, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश

प्र. क्र. 0002-ब-113(1) वर्ष 2023-24.

गाडरवारा, दिनांक 20 जुलाई 2023

प्ररूप क्र. 4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक, तहसील-गाडरवारा, जिला-नरसिंहपुर के समक्ष

यतः, कि श्री रामकुमार आ. स्व. गोपीकृष्ण काबरा, निवासी-पिपरिया रोड, गाडरवारा, तहसील-गाडरवारा, जिला-नरसिंहपुर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है. कथित आवेदन पर 2023 के माह जून की 30 तारीख दिवस शुक्रवार पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

अतः, मैं, श्रीमती सृष्टि देशमुख गौड़ा, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं पंजीयक, लोक न्यास, गाडरवारा, तहसील-गाडरवारा, जिला-नरसिंहपुर के लोक न्यासों की पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 18-08-2023 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जाँच करना प्रस्थापित करती हूँ.

अतः, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जाएगा:-

अनुसूची

लोक न्यास का नाम व पता	: सुधा रामकुमार काबरा, चेरीटेबल ट्रस्ट, गाडरवारा, तहसील-गाडरवारा, जिला-नरसिंहपुर.
संपत्ति का विवरण	: स्टेट बैंक शाखा गाडरवारा, में म्युचुअल फंड में जमा 20,00,000 रुपये अंकन बीस लाख रुपये, रसीद/फोलियो क्रमांक 27031953.

प्र. क्र. 0003-ब-113(1) वर्ष 2023-24.

प्ररूप क्र. 4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक, तहसील-गाडरवारा, जिला-नरसिंहपुर के समक्ष

यतः, कि श्री सतीश कुमार आ. महेश चन्द्र नीखरा, निवासी-राजीव वार्ड, गाडरवारा, तहसील-गाडरवारा, जिला-नरसिंहपुर कार्यकारी न्यासी श्री देवा राधावल्लभ मंदिर, लोक न्यास, पलोहाबड़ा, तहसील-गाडरवारा, जिला-नरसिंहपुर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है. कथित आवेदन पर 2023 के माह अगस्त की 08 तारीख पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

अतः, मैं, श्रीमती सृष्टि देशमुख गौड़ा, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं पंजीयक, लोक न्यास, गाडरवारा, तहसील-गाडरवारा, जिला-नरसिंहपुर के लोक न्यासों की पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 08-08-2023 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जाँच करना प्रस्थापित करती हूँ.

अतः, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर

सकता है और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जाएगा।

अनुसूची

- लोक न्यास का नाम व पता : श्री देव राधावल्लभ मंदिर, लोक न्यास, ग्राम-पलोहाबड़ा, तहसील-गाडरवारा, जिला-नरसिंहपुर.
- संपत्ति का विवरण :-
- अचल संपत्ति : श्री देव राधावल्लभ जी मंदिर, रामनारायण वल्द छोटेलाल के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज निम्नानुसार कृषि भूमियां:-
मौजा- नीमच, स्थित खसरा नम्बर 223, 233/1, रकबा क्रमशः 3.601 हे., 0.376 हे. कुल रकबा 3.977 हे.
मौजा- पलोहाबड़ा स्थित नम्बर 420, 714, 715, 724 रकबा क्रमशः 1.522 हे., 0.049 हे., 0.093 हे., 0.267 हे. कुल रकबा 1.931 हे. एवं आबादी भूमि खसरा नम्बर 737 में से लगभग 2 एकड़ भूमि.
उपरोक्त सभी अचल संपत्तियों सहित मंदिर ईमारत एवं रिक्त बाड़े का अनुमानित कुल मूल्य 2,28,00,000 अंकन दो करोड़ अट्ठाईस लाख रुपये.

चल संपत्ति-

क्रं. (1)	संपत्ति का नाम (2)	मात्रा/नग (3)	अनुमानित मूल्य रुपये में (4)
1.	चंदी के मुकुट	3 सेट	30,000
2.	मोहनमाला सोने की 20 ग्राम वजनी	1 नग	1,00,000
3.	बांसुरी चांदी की	1 नग	10,000
4.	चांदी की पायल	4 जोड़ी	20,000
5.	वस्त्र	10 जोड़ी	5,000
6.	लकड़ी का विमान	1 नग	5,000
7.	पूजा थाली तांबे की बड़ी	2 नग	1,000
8.	पूजा थाली तांबे की छोटी	2 नग	500
9.	गरुड़ घंटी पीतल की	1 नग	500
10.	पंचपात्र	1 नग	200
11.	पंची	1 नग	50
12.	घंटा पीतल का	1 नग	2,000
13.	शंख बड़े	2 नग	500
14.	गलीचा	3 नग	2,000
15.	छत्र चांदी का 500 ग्राम वजनी	1 नग	30,000
16.	सिंहासन छोटा चांदी का	1 नग	50,000
17.	पंखा	1 नग	2,000
18.	लकड़ी का झूला	1 नग	1,000
19.	पानी की टंकी	1 नग	500
20.	ताम्बे का लोटा	1 नग	200
21.	परात तांबे की	1 नग	500
22.	दान पेटी	1 नग	5,000

(G-1558)

सृष्टि देशमुख गौड़ा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, अनुभाग दतिया, मध्यप्रदेश

प्र. क्र. 0001-बी-113-2023-24.

दतिया, दिनांक 24 जुलाई 2023

बनाम- आम जनता

जरिये उद्घोषणा द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक ओमप्रकाश पमवानी पुत्र स्व. पारीमल पमवानी, निवासी-ज्योति नगर, सिंधी कालोनी, दतिया द्वारा लोक न्यास पंजीयन 1051 की धारा 4 के तहत "पूज्य संत हजारीराम ज्योति मंदिर न्यास" के गठन किये जाने के संबंध में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

1- न्यास का पूरा नाम - "पूज्य संत हजारीराम ज्योति मंदिर न्यास"

2- न्यास का कार्यालय का स्थायी पता-भवन क्रमांक 130, वार्ड क्रमांक 5, गाडी खाना मार्ग, दतिया (म.प्र.).

लोक न्यास का उद्गम प्रकृति और उद्देश्य:-

भारत वर्ष में समाज व राष्ट्र की सेवा करना, वर्ग, समुदाय में प्रेम व एकता की भावना को उत्प्रेरित करना, समाज के गरीब, विकलांग, अनाथ, असहाय, बृद्ध व्यक्तियों, महिलाओं, काम काजी महिलाओं, परित्याक्ता एवं विधवा महिलायें एवं बालक-महिलाओं के कल्याण एवं उत्थान के लिये उपलब्ध क्षमताओं के अनुसार शिक्षा, हैन्डीक्राफ्ट शिक्षा, हस्तशिल्प प्रशिक्षण एवं सेमिनार तथा स्व-रोजगार शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना, उनका संचालन करना तथा आर्थिक मदद करना एवं ऋण उपलब्ध कराना आदि है.

3- न्यास की चल/अचल संपत्ति का विवरण:- न्यास के पास प्रारंभिक निधि के रूप में रुपये 208830.00 राशि है, जो बैंक में जमा है. न्यास के पास सम्पूर्ण पूज्य संत हजारीराम ज्योति मंदिर न्यास संत हजारीराम ज्योति मंदिर परिसर अचल संपत्ति है.

4- न्यास की आय का स्रोत:- न्यासी एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा दान में दी गई राशि.

उक्त ट्रस्ट के पंजीयन के संबंध में किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 30 दिवस के अन्दर इस न्यायालय में प्रस्तुत करें. अवधि समाप्ति के पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

(G-1559)

ऋषि सिंघई, अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

प्र. क्र. 01-बी-113-2023-24.

विदिशा, दिनांक 24 जुलाई 2023

प्ररूप 4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 (1) देखिए]

आवेदिका श्रीमती सविता पत्नी श्री मनोज कपूर, निवासी-ए-26, बालाजी ऐवेन्यू, विदिशा, अध्यक्ष स्व. श्यामलाल खत्री, स्मृति ट्रस्ट, ग्राम हांसुआ, तहसील विदिशा ट्रस्ट के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 23-08-2023 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियाँ करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो, तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे, जिसका कि वह गठन करती है.

अतः, मैं, पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 23-08-2023 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में द्वारा यह अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई भी न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक

से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा:-

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

1. लोक न्यास का नाम और पता : स्व. श्यामलाल खत्री, स्मृति ट्रस्ट, ग्राम हांसुआ, तहसील विदिशा.
2. चल संपत्ति : निरंक.
3. अचल संपत्ति : निरंक.

(G-1560)

गोपाल सिंह वर्मा, उपखण्ड अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अनुभाग (मल्हारगंज), इन्दौर, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 : तीस : (95) की धारा 5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत आवेदक "श्री पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर ट्रस्ट" तर्फे न्यासी श्री मयंक जैन, कार्यालय पता-श्री पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर, 77-बी, विद्या पैलेस, छोटा बांगडदा, इंदौर (म.प्र.) द्वारा "श्री पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर ट्रस्ट" का म.प्र. का पब्लिक एक्ट की धारा 4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो, वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा :-

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

- | | | |
|-----------------|---|---|
| ट्रस्ट का नाम | : | "श्री पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर ट्रस्ट" |
| कार्यालय का पता | : | श्री पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर, 77-बी, विद्या पैलेस, छोटा बांगडदा, इंदौर (म.प्र.). |
| चल संपत्ति | : | 2000/- (अक्षरी दो हजार रुपये मात्र). |
| अचल संपत्ति | : | अचल निरंक. |

आज दिनांक 21 जुलाई 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 : तीस : (95) की धारा 5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत आवेदक "श्री दिगम्बर जैन मंदिर, मार्डन सिटी ट्रस्ट" तर्फे श्री गिरीश जैन, कार्यालय पता-72, विध्यांचल नगर, एयरपोर्ट रोड, इंदौर (म.प्र.) द्वारा "श्री दिगम्बर जैन मंदिर, मार्डन सिटी ट्रस्ट" का म.प्र. का पब्लिक एक्ट की धारा 4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो, वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा:-

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	"श्री दिगम्बर जैन मंदिर, मार्डन सिटी ट्रस्ट"
कार्यालय का पता	:	72, विध्यांचल नगर, एयरपोर्ट रोड, इंदौर (म.प्र.).
चल संपत्ति	:	7275/- (अक्षरी सात हजार दो सौ पचहत्तर रुपये मात्र)
अचल संपत्ति	:	अचल निरंक.

आज दिनांक 20 जुलाई 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(G-1561)

विनोद राठौर, पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं पंजीयक, लोक न्यास, बरेली, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश
क्र.-1733-प्रवा-2023 बरेली, दिनांक 20 जून 2023

प्रारूप क्र. 4

[देखें नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक, बरेली, जिला रायसेन के समक्ष

यतः, कि श्री राधामोहन सिंह रघुवंशी आ. स्व. श्री गोविन्द सिंह रघुवंशी, निवासी-ग्राम महेश्वर, तहसील बरेली, जिला-रायसेन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है. एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 20-07-2023 दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा :-

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

श्री दुर्गा मंदिर ट्रस्ट, हौली चौक, महेश्वर, तहसील बरेली, जिला रायसेन (म.प्र.)
ग्राम महेश्वर, तहसील बरेली, जिला रायसेन स्थित भूमि
खसरा नंबर 259/1, रकबा-0.632 हे., भूरा. 5.02 रुपया
(अनुमानित कीमत 1500000/- रुपया)

(G-1562)

संतोष मुदगल, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, वृत्त गोविन्दपुरा, भोपाल, मध्यप्रदेश
क्र. 201-अ.वि.अ.-वृत्तगो.-2023 भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2023

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5 (1) के अंतर्गत]

समक्ष रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल

जैसा कि आवेदक श्री 1008, पंचबालयति दिगम्बर जैन मंदिर न्यास, भोपाल पार्श्वधाम, भानपुर, भोपाल (म.प्र.) के द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र सूची में दर्शाई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

2. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 31-08-2023 को विचार में लिया जावेगा. यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो लिखित में सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से उक्त प्रकरण में मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा :-

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता	:	श्री 1008 पंचबालयति दिगम्बर जैन मंदिर न्यास पता- पार्श्वधाम, भानपुर, भोपाल (म.प्र.).
न्यास कार्यालय का पता	:	पार्श्वधाम, भानपुर, भोपाल (म.प्र.).
अचल सम्पत्ति	:	मंदिर भवन एवं भूमि.
चल सम्पत्ति	:	12,50,000/- (तहसीलदार के प्रतिवेदन अनुसार).

(G-1563)

मनोज वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अधारताल,
जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश

रा. प्र. क्र. 0008-बी-113(4)-2022-23.

जबलपुर, दिनांक 2 अगस्त 2023

प्रारूप-4

[सूचना-पत्र नियम-5 (1) देखिए]

(मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत)

आवेदक श्री गहोई सभा चैरिटेबल ट्रस्ट, पता-244, पुराना कोतवाली वार्ड, सुभाष टाकीज के पीछे वर्तमान हनुमानताल वार्ड, जबलपुर (म.प्र.) की ओर से गोपाल दास नीखरा, अध्यक्ष एवं अशोक कुमार गुप्ता, महासचिव, निवासी- प्लॉट नंबर 207, म.नं. 1640, जय नगर, लेबर चौक, जबलपुर के द्वारा आवेदन-पत्र अंतर्गत मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अधीन न्यास के न्यास पंजीयन में पेश किया है.

अतः एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पर संधारित प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 04-09-2023 को विचार के लिए नियत है. कोई भी व्यक्ति/संस्था उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उक्त नियुक्ति के बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन/दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है अथवा उक्त नियत दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अपने अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/दावों/सुझावों पर कोई विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जावेगा :-

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता)

1. लोक न्यास का नाम/पता	:	श्री गहोई सभा चैरिटेबल न्यास, कार्यालय-244, पुराना कोतवाली वार्ड, सुभाष टाकीज के पीछे वर्तमान हनुमानताल वार्ड, जबलपुर (म.प्र.)
2. न्यास का उद्देश्य	:	वृद्ध अनाथ विकलांगों को आर्थिक सहायता, निर्धन असहाय, विधवा, परित्यक्ता महिलाओं को आर्थिक सहायता एवं उनके स्वालंबन हेतु सिलाई मशीन, पापड़ मशीन आदि अनुदान, शिक्षा प्रसार, औषधि उपचार आदि.
3. नवीन न्यासी	:	श्री गोपालदास नीखरा, अनंतराम बडेरिया, शंभदयाल बडेरिया, अशोक कुमार गुप्ता, अशोक कुमार नौगरैया, अरुण कुमार खर्द, रामगोपाल ददरया, विजय कुमार गुप्ता, सुभाषचंद रावत, कैलाश कुमार लहरिया, यू.सी. गुप्ता, नितिन बरसैया, राकेश बडेरिया, गोपाल गुप्ता.

(G-1564)

अनुराग सिंह, अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

क्र. परि.-2023-क्यू.

सीहोर, दिनांक 13 जुलाई 2023

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 57 सी के अन्तर्गत)

उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया:-

क्र.	संस्था का नाम	तहसील	पंजीयन क्रमांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक
1.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., ओडिया.	बुदनी	1267 / 16-01-2004	819 / 06-06-2023

अतः मैं, विनोद जैन, पद उप अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह की समयावधि में मुझे कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(G-1565)

विनोद जैन, उप अंकेक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, इन्दौर संभाग, इन्दौर, मध्यप्रदेश

क्र. बस स्टैण्ड-84-2023

इन्दौर, दिनांक 21 जुलाई 2023

मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 204 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, राजेश राठौड़, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, इंदौर संभाग, इंदौर. स्थान खण्डवा से इंदौर, सनावद, बडवाह, धार, महू, पंधाना, खरगोन, उज्जैन, बुरहानपुर एवं बड़वानी इत्यादि शहरों की ओर आने-जाने वाली प्रक्रम वाहनों में यात्रियों को बिठाने एवं उतारने के लिये जनसुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से गणेश गौशाला के पास नगर पालिक निगम, खण्डवा के स्वामित्व की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 543, 544, / 1 एवं 546 / 1 को मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 117 के अंतर्गत "श्री दादाजी बस स्टैण्ड" अधिसूचित घोषित करता हूँ.

क्र. बस स्टैण्ड-85-2023

मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 204 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, राजेश राठौड़, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, इंदौर संभाग, इंदौर. स्थान खण्डवा से हरसूद, हरदा, होशंगाबाद, भोपाल, जसवाड़ी, सिंगोट, देडतलाई, बैतूल, अमरावती व नागपुर इत्यादि शहरों की ओर आने-जाने वाली प्रक्रम वाहनों में यात्रियों को बिठाने एवं उतारने के लिये जनसुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से सूरजकुण्ड पर शासकीय भूमि ब्लाक क्रमांक 67, प्लॉट नंबर 1/1 को मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 117 के अंतर्गत "सूरजकुण्ड बस स्टैण्ड" अधिसूचित घोषित करता हूँ.

(G-1566)

राजेश राठौड़, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार.

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 अगस्त 2023—श्रावण 20, शक 1945

भाग 3 (2)

निरंक